

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2014/डी-2526

दिनांक:- 14/10/2014

श्री विशाल कुमार शर्मा,
निदेशक,
वी.एन. बिल्डटेक प्रा.लि.,
20, 21, 22, सिल्वर स्क्वायर मॉल,
सी-18, भगवानदास रोड़, सी-स्कीम,
जयपुर।

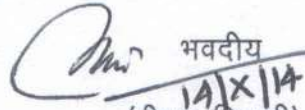
विषय :- खसरा नम्बर 703/2, 705/1, 705/2 व 706, ग्राम-श्रीकिशनपुरा, तहसील- सांगानेर,
जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2014 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 703/2, 705/1, 705/2 व 706, ग्राम-श्रीकिशनपुरा, तहसील- सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 12.05.2014 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह सितम्बर-2021 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
14. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
15. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में आप द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण एवं उपलब्ध पार्किंग की सूचना जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
19. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
21. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु संख्या 1.5 अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के तीन माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा तथा इन EWS/LIG इकाईयों के निर्माण कार्य के लिए 2 वर्ष की अधिकतम सीमा होगी।

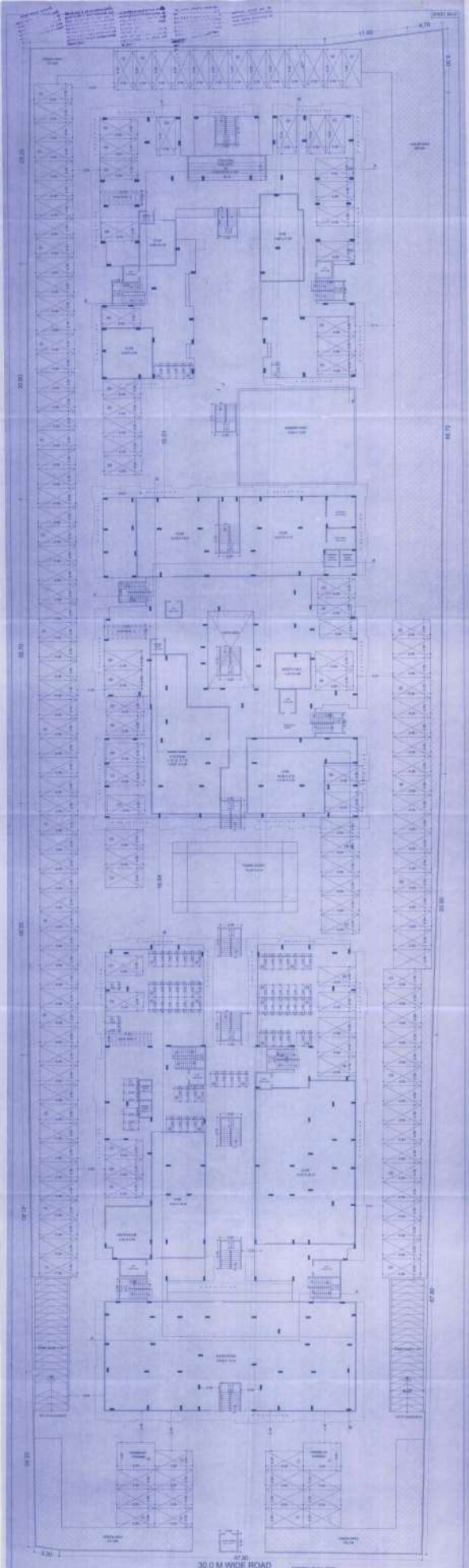

भवदीय
14/11/14
(नीरज तिवाड़ी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन-09, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपायुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

(नीरज तिवाड़ी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

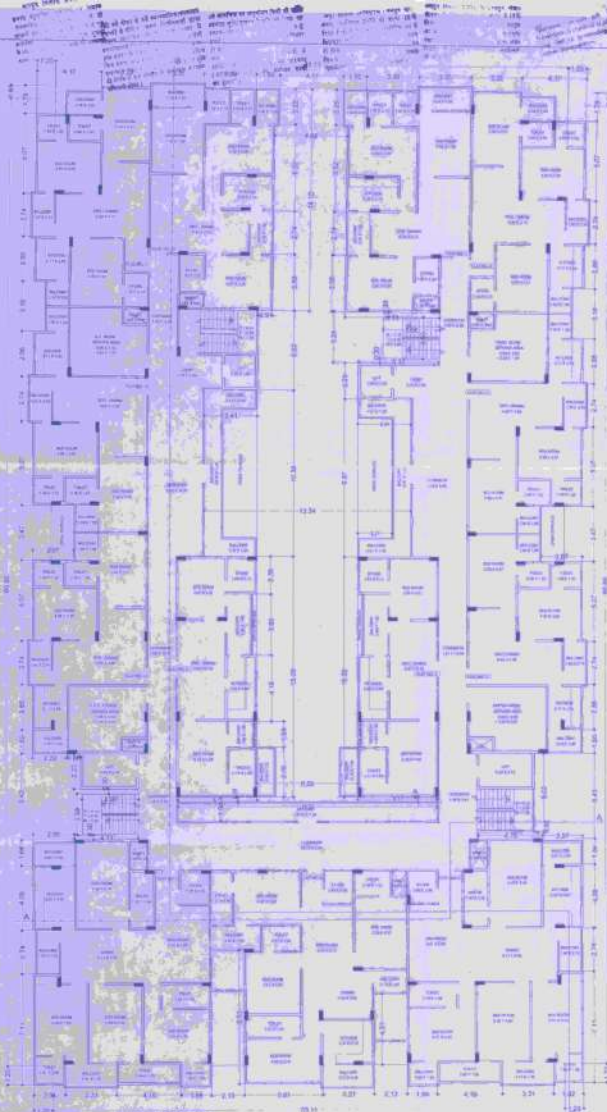


Sl. No.	Particulars	Area (sq. m)	Volume (cu. m)	Weight (kg)	Remarks
1	Concrete	100.00	100.00	100.00	
2	Brick	200.00	200.00	200.00	
3	Plaster	300.00	300.00	300.00	
4	Paint	400.00	400.00	400.00	
5	Roofing	500.00	500.00	500.00	
6	Sanitary	600.00	600.00	600.00	
7	Electrical	700.00	700.00	700.00	
8	Water	800.00	800.00	800.00	
9	Gas	900.00	900.00	900.00	
10	Other	1000.00	1000.00	1000.00	

PROPOSED RESIDENTIAL PLATS AT
KNO. 703 (V. 7051, 7052, 7053)
VILL. SURI KRISHNAPURA, TEN. SAKKAR, 2PH

1. TOTAL SITE AREA = 1000.00 SQ. M
2. PROPOSED CAR PARKING AREA = 100.00 SQ. M
3. PROPOSED GREEN SPACE = 100.00 SQ. M
4. PROPOSED WATER TANK = 100.00 SQ. M
5. PROPOSED OTHER AREAS = 100.00 SQ. M

DATE: 10/10/2023
BY: [Signature]
FOR: [Signature]



FIRST FLOOR PLAN
BLOCK-A



SECOND TO ELEVENTH FLOOR PLAN
BLOCK-A

PROJECT TITLE
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
AT K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 ,
706 , VILL. SHRI KRISHANPURA
TEH. SANGANER , JPR

DWG TITLE
TYPICAL FLOOR PLAN
BLOCK-A

ARCHITECT

[Signature]
Architect

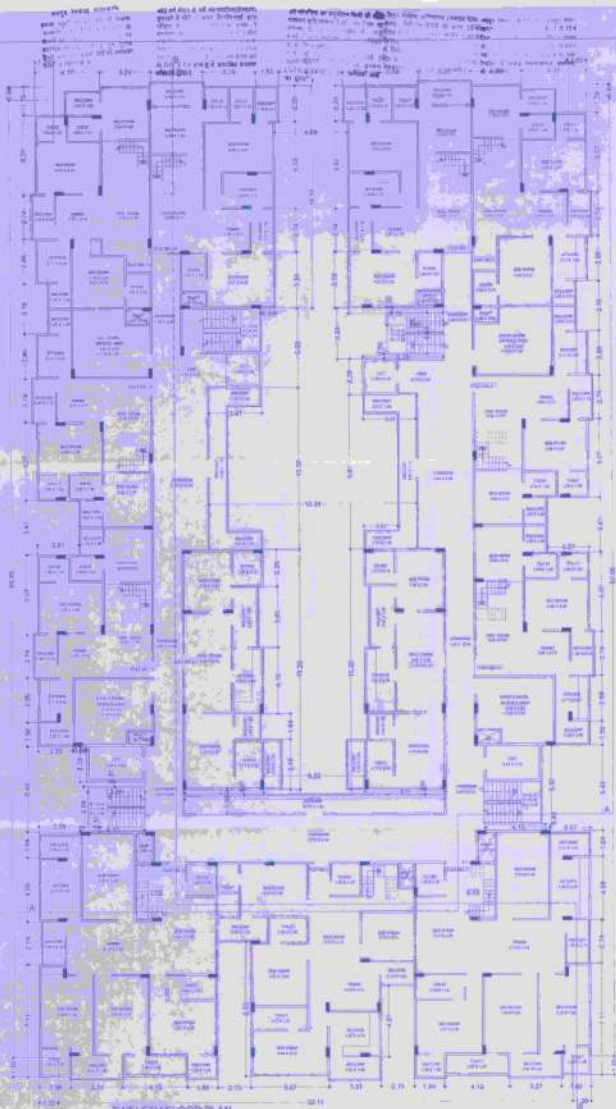
AFFLUENT

[Signature]
Affluent

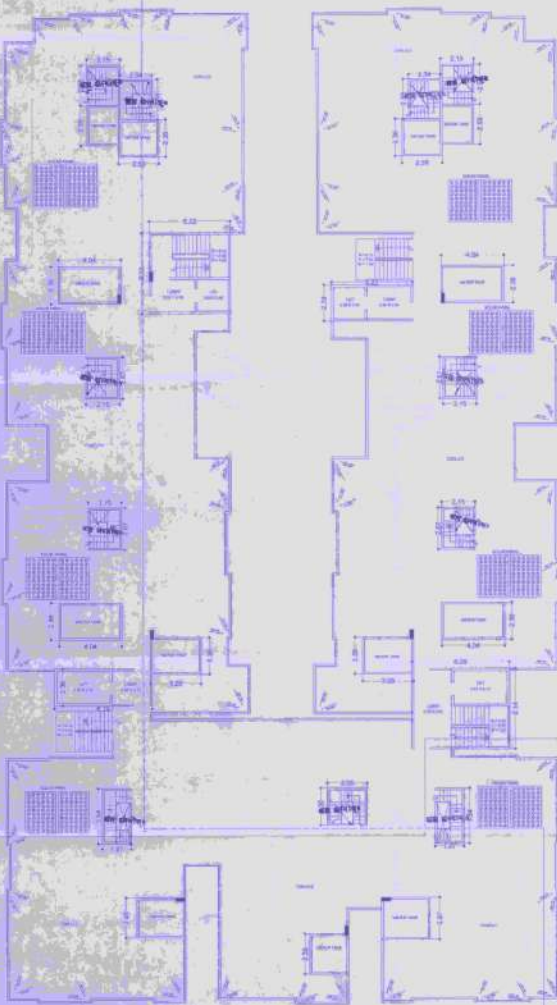
ST. PATA
SHRI KRISHAN
VILL. SANGANER
TEH. SANGANER , JPR

ST. PATA
SHRI KRISHAN
VILL. SANGANER
TEH. SANGANER , JPR

SHEET NO-4



TWELFTH FLOOR PLAN
BLOCK-A



TERRACE FLOOR PLAN
BLOCK-A

REMARKS: Check up of
structural members and
load carrying capacity
shall be done before
final construction.

SHEET NO. 4

આવૃત્તિ
દેવ ભગી-કુશાલી કુશાલી
સર્વોચ્ચ શિક્ષણ
સર્વોચ્ચ શિક્ષણ
સર્વોચ્ચ શિક્ષણ

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
AT K.NO. 703 / 2, 705/1, 705/2,
706, VILL. SHRI KRISHANPURA
TEH-SANGANER, JPR

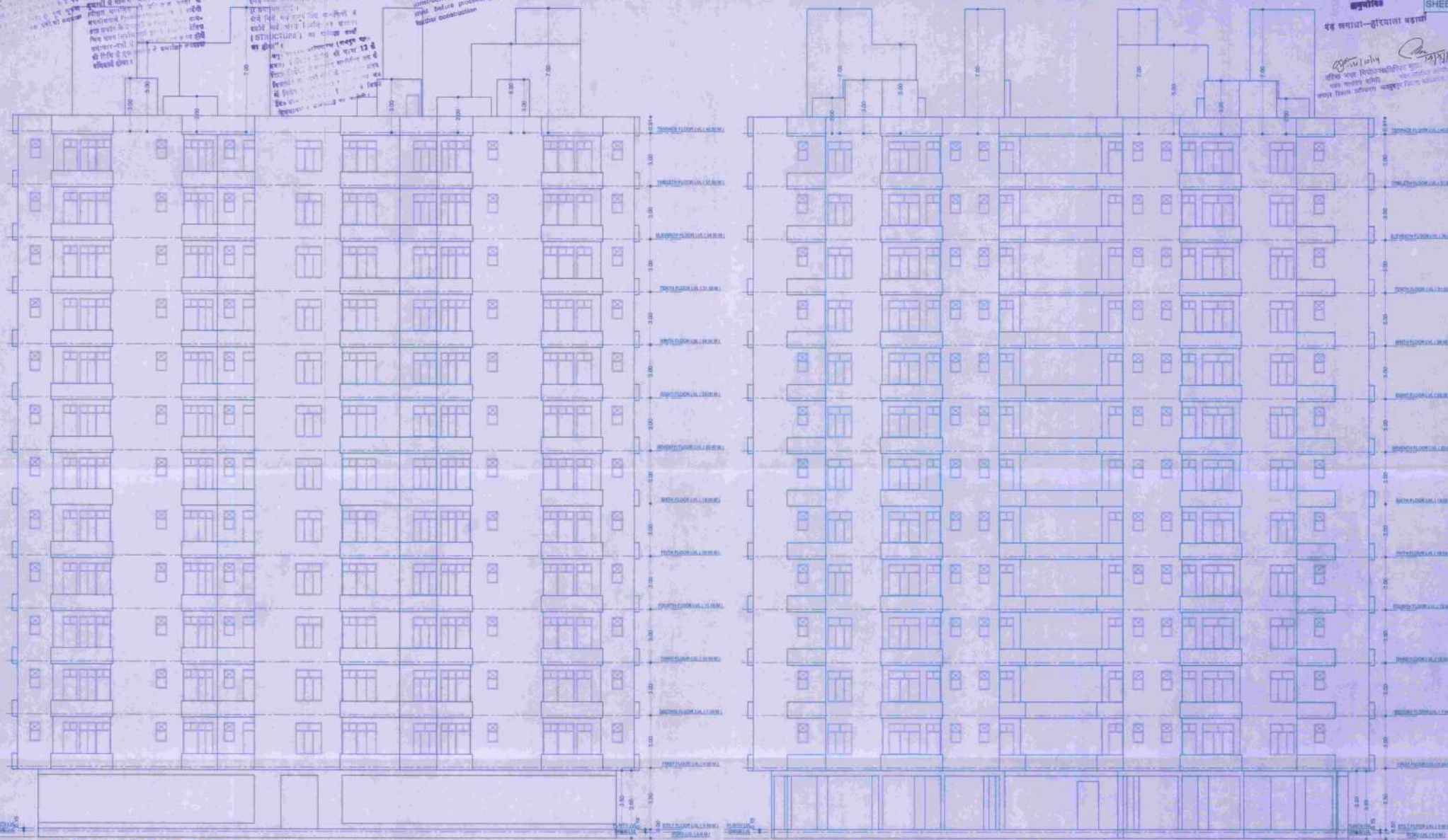
DWG TITLE

BLOCK-A

ARCHITECT

APPLICANT

appears should be
construction checked at place
and before proceeding to
further construction

[illegible]

FRONT SIDE ELEVATION
BLOCK -A

REAR SIDE ELEVATION
BLOCK-A

PROJECT TITLE :- <u>PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT</u> <u>K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706</u> <u>,VILL. SHRI KRISHANPURA ,TEH.-SANGANER ,JPR</u>	DRG TITLE <u>FRONT & REAR ELEVATION</u> <u>BLOCK-A</u>	ARCHITECT  SHRI. MOHAN LAL CHARTERED	APPLICANT  SHRI. MOHAN LAL CHARTERED
--	--	--	--

विशेष नोट
 1. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 2. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 3. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 4. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 5. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि

विशेष नोट
 1. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 2. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 3. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 4. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 5. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि

विशेष नोट
 1. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 2. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 3. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 4. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 5. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि

विशेष नोट
 1. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 2. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 3. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 4. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 5. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि

विशेष नोट
 1. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 2. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 3. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 4. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि
 5. इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि



RIGHT SIDE ELEVATION
 BLOCK-A

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT
 K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706

, VILL. SHRI KRISHANPURA , TEH.-SANGANER , JPR

DRG TITLE

RIGHT ELEVATION
 BLOCK-A

ARCHITECT

SHRI KRISHANPURA
 ARCHITECT
 CHANDIGARH

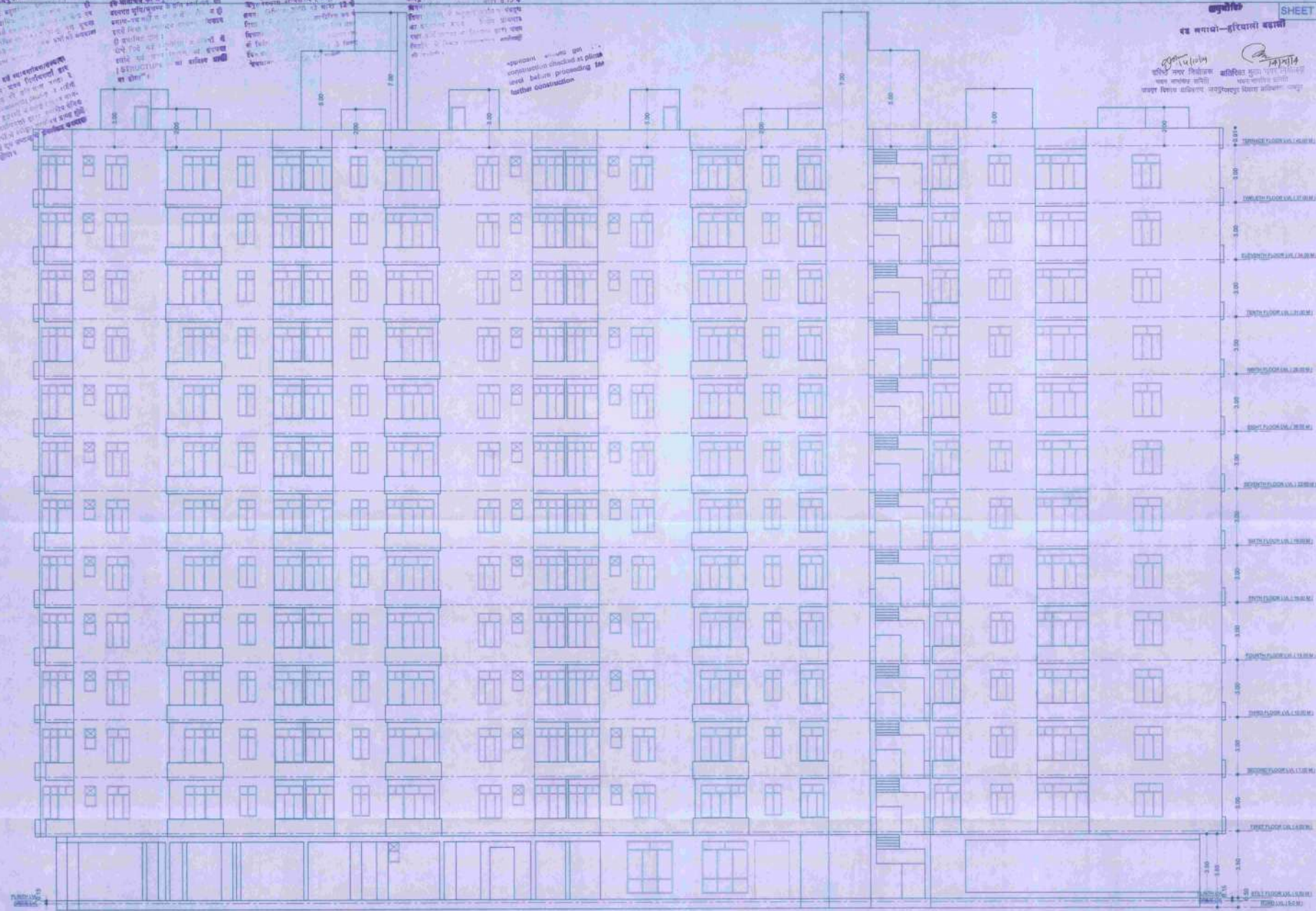
APPLICANT

SHRI KRISHANPURA LTD.
 CHANDIGARH

संज्ञा लघाधो—दुरिघाली बहाम्नी



 डॉ. न. स. कुलकर्णी
 डॉ. न. स. कुलकर्णी



LEFT SIDE ELEVATION
BLOCK-A

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT
K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706
,VILL. SHRI KRISHANPURA ,TEH.-SANGANER ,JPR

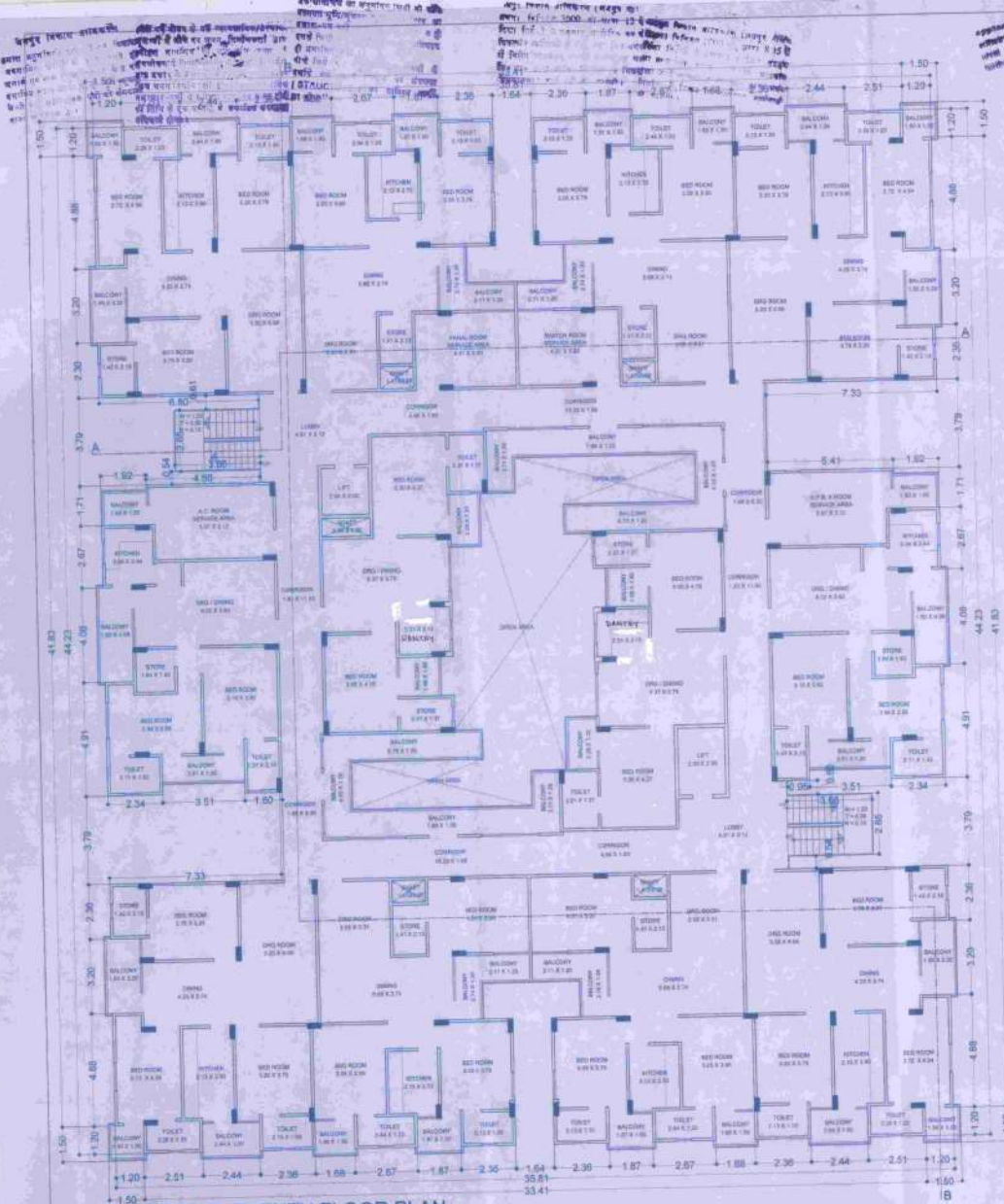
DRG TITLE
LEFT ELEVATION
BLOCK-A

ARCHITECT

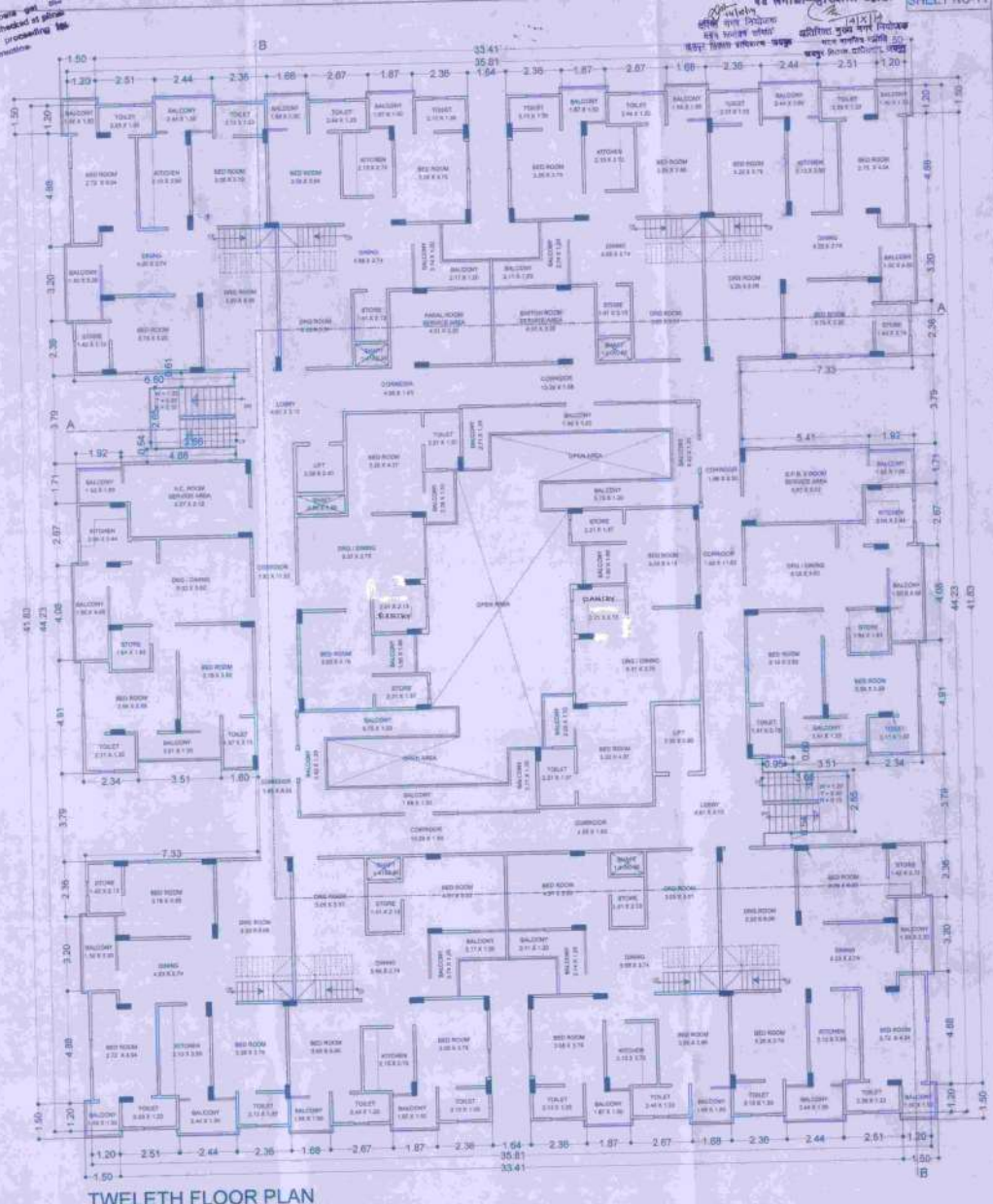
APPLICANT

For K. K. MATHS PAPER 100

APPLICANT

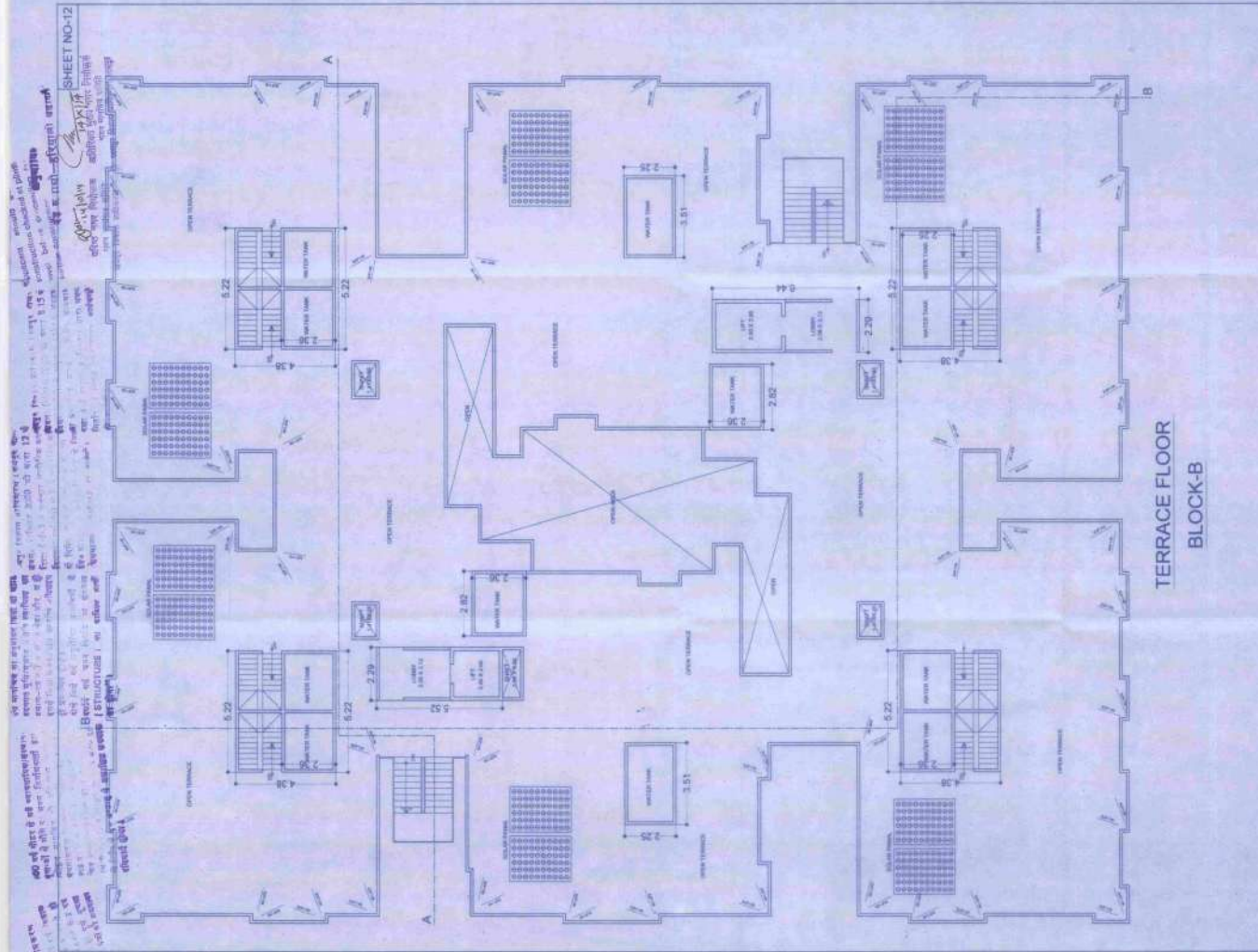


FIRST TO ELEVENTH FLOOR PLAN
BLOCK-B



TWELFTH FLOOR PLAN
BLOCK-B

PROJECT TITLE :- PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706 ,VILL. SHRI KRISHANPURA ,TEH.-SANGANER ,JPR	ORG TITLE TYPICAL FLOOR PLAN BLOCK-B	ARCHITECT <i>[Signature]</i>	APPLICANT <i>[Signature]</i>
---	---	--	--



SHEET NO-12

APPLICANT

ARCHITECT

DRG TITLE

TERRACE FLOOR PLAN
BLOCK-B

PROJECT TITLE -

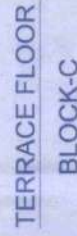
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT
K.NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706
VILL. SHRI KRISHANPURA , TEH. SANGANER , JPR



[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

• present should get construction checked at plumb level before proceeding with construction

[illegible]

DRG TITLE
PLAN
BLOCK-C

ARCHITECT
AMRI KRISHNA

APPLICANT

Verdant

10/11/1919

[illegible]REAR SIDE ELEVATION
BLOCK-C

FRONT SIDE ELEVATION
BLOCK-C

PROJECT TITLE:
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT
K NO. 703 / 2 , 705/1 , 705/2 , 706
, VILL. SHRI KRISHANPURA, TEH. SANGANER, JPR

DRG TITLE

**ELEVATION
BLOCK-C**

ARCHITECT

APPLICANT'S NAME _____

SHEET NO-19

समस्याओं के लिए

वेद व्याख्यान—अध्याय १०

[Handwritten signature]

LEFT SIDE ELEVATION
BLOCK-C

RIGHT SIDE ELEVATION
BLOCK -C

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT
K.NO. 703 / 2, 705/1, 705/2, 706
, VILL. SHRI KRISHANPURA, TEH.-SANGANER, JPR

ORG TITLE

ELEVATION
BLOCK-C

ARCHITECT

APPLICANT

APPLICANT